HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,00-500/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 28.01.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "गैंगस्टर एक्ट" के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 23.01.2023 को थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा 1- सुनील पुत्र कल्लू निवासी खुशहालपुर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद, 2- संजय पुत्र कल्लू निवासी बैंक कालोनी थाना मझौला जनपद मुरादाबाद को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 57/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 12.07.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 28.01.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजी/एफटीसी-02/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट हापुड़ द्वारा 02-02 वर्ष का कारावास व 5,00-500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कश्यप (एस.पी.ओ.) व विवेचक निरीक्षक संजय कुमार पांडेय एवं पैरोकार का0 दुष्यंत राठी व कोर्ट मोहर्रिर म0 है0का0 मधु का विशेष योगदान रहा।